मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–128/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 498/2018)
शिवा उर्फ शिवाल बनाम रामेश्वर प्रसाद आदि
<u>21.09.2020</u>

3 बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी शिवा उर्फ शिवाल नाबालिग जरिये संरक्षक/पिता मुन्ना लाल द्वारा एम.ए.सी.पी. सं. 498/2018 शिवा उर्फ शिवाल बनाम रामेश्वर प्रसाद आदि के प्रकरण में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त याचिका दिनाँक 08.07.2020 को निर्णीत हो चुकी है तथा न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में क्षतिपूर्ति की धनराशि मुब. 85,000/–रु. विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण के खाते में जमा करा दी गयी है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उक्त जमाशुदा धनराशि उसके खाता सं. 5311000100011696 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कानपुर रोड़, झाँसी आई एफ एस सी कोड – PUNB0531100 शिवा यादव पुत्र श्री मुन्ना लाल में स्थानान्तरित किय जाने की कृपा की जाए। समर्थन में आधार कार्ड की छाया प्रतियां व उक्त खाते की पासबुक की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थी जरिये संक्षाक/पिता न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा मूल एम.ए.सी.पी. सं. 498/2018 की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका राजीनामा के आधार पर दिनाँक 08.07.2020 को निर्णीत की जा चुकी है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में एवार्ड की धनराशि मुब. 85,000/–रु. की धनराशि याची शिवाल उर्फ शिवा यादव अवयस्क के नाम उसके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में जमा किया जाना है, जिसकी समस्त धनराशि याची वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में कार्यालय द्वारा यह आख्या दी गयी है कि बीमा कम्पनी श्रीराम जनरल इं. कं. (विपक्षी सं.3) की आख्या के अनुसार दिनाँक 04.08.2020 को ट्रान्जेक्शन/रिफरेन्स नं. N 217201204810502 के द्वारा पी.एन.बी., झोकनबाग, झाँसी में 85,000/–रु. जमा कर दिये गये हैं। मेरे विचार से न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में एवार्ड की धनराशि मुब. 85,000/–रु. याची शिवाल उर्फ शिवा यादव अवयस्क के नाम उसके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में जमा किया जाने योग्य, जिसकी समस्त धनराशि मय ब्याज याची वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगा।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकन बाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 498/2018 (प्रकीर्ण वाद सं. 128/2020 शिवा उर्फ शिवाल) के प्रकरण में जमा धनराशि मुब. 85,000/– (पचासी हजार) रु. मय अब तक के अर्जित ब्याज की धनराशि प्रार्थी शिवा यादव उर्फ शिवाल के नाम जरिये संक्षक/पिता मुन्ना लाल किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज प्रदान करने वाली सावधि जमा योजना में उसके वयस्क होने तक के लिये जमा करें, जिसकी समस्त धनराशि मय ब्याज याची वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगा। तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। 3 बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.09.21 19:38:37 IST
Reason: Presiding Officer
Location: MACT JHANSI